हिन्दी की प्रगति : समस्याएं एवं समाधान

प्रस्तावना

किसी भी प्रजातांत्रिक देश में राजकाज की भाषा उसकी जनता की भाषा होती है। भारत में विभिन्न तरह की बोलियां एवं भाषाएं बोली जाती हैं जिनकी संख्या लगभग 1652 है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तथा गुजरात से लेकर नागालैण्ड तक विभिन्न धर्मों एवं जातियों के लोग रहते हैं तथा तरह तरह की भाषाएं बोलते हैं मगर हिन्दी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे भारत के अधिकांश लोग बोलते एवं समझते हैं। हिन्दी एक ऐसा माध्यम है जो एकता के सूत्र में बांधने का काम करता है । देश के किसी भी प्रदेश का व्यक्ति देश के किसी भी कोने में चला जाए वह अपनी टूटी फूटी हिन्दी से अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने में सफल हो जाता है। अत: इस देश के लोगों में भाषा के आधार पर भिन्नता होते हुए भी एकता के दर्शन होते हैं।

वर्ष 1993-94 में हिन्दी सप्ताह के अन्तर्गत निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। प्रस्तुत है इसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार से सम्मानित निबन्ध -

श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा था "कोई भी देश अपनी मातृभाषा के द्वारा ही आगे बढ़ सकता है। हम दूसरी भाषा बोल सकते हैं समझ सकते हैं पर नए विचार उससे पैदा नहीं कर सकते। नए विचार अपनी मातृभाषा द्वारा ही निकल सकते हैं। हम चाहते हैं कि देश के सभी व्यक्ति अगर हिन्दी बोल न सके तो कम से कम समझ अवश्य सकें।"

श्री रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था "आधुनिक हिन्दी एक विकसित कमल के समान है जिसकी एक एक पंखुड़ी एक-एक प्रांतीय भाषा और उसकी साहित्य संस्कृति है। किसी एक को निकाल देने से कमल की शोभा ही नष्ट हो जायेगी। सभी प्रांतीय भाषाएं अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ें और सबको जोड़ती हुई हिन्दी. जो कमल की मध्य मणि है, भारत की भारती होकर विराजती रहे।"

किसी भी स्वाधीन देश में जो महत्व उसके राष्ट्रीय गान का है वही महत्व राजभाषा का है। सभी स्वतंत्र और नवोदित राष्ट्रों ने इस बात को स्वीकार किया है कि देश की प्रगति अपनी भाषा में ही सम्भव है। चीन, जापान, जर्मनी आदि राष्ट्र इस बात के प्रमाण हैं। महात्मा गांधी ने भाषा की आजादी को देश की आजादी से भी महत्वपूर्ण माना था। उन्होंने किसी भी राष्ट्रभाषा बनने वाली भाषा में नीचे दिए पांच गुण माने थे:-

1. सरकारी अधिकारी उसे आसानी से सीख सकें।
2. वह समस्त भारत में धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक सम्पर्क के माध्यम के रूप में प्रयोग में सक्षम हो।
3. वह अधिकांश भारतवासियों द्वारा बोली जाती हो।
4. सारे देश के लोग उसे आसानी से सीख सकें।
5. ऐसी भाषा को चुनते हुए क्षणिक हितों का ध्यान न रखा जाए।

'राष्ट्रभाषा हिन्दी में ये सभी गुण पर्याप्त थे।'

किरन आहुजा, आशुलिपिक

समस्याएं

संवैधानिक मान्यताओं के होते हुए भी हिन्दी को अपेक्षित स्थान नहीं मिल सका है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं लेकिन कुछ अप्रत्याशित कारणों से जितना हम हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के कदम उठा रहे हैं उतनी ही समस्याएं भी आती जा रही हैं।

स्वाधीनता के पश्चात हिन्दी के प्रति जो उमंग और उत्साह लोगों में था, वह निरन्तर कम होता जा रहा है। हिन्दी के बारे में अनेक विवाद उत्पन्न करके राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के प्रयास किये जाते हैं।

कार्यालयों में अंग्रेजी का वर्चस्व होने के कारण कोई भी कर्मचारी हिन्दी में काम करने में रूचि नहीं रखता क्योंकि ऐसी अवधारणा है कि उसका प्रवेश और पदोन्नति भी अंग्रेजी से ही सम्भव है फिर वह हिन्दी में रूचि क्यों ले। यदि कोई अधिकारी बाद्धयता के कारण हिन्दी में पत्र तैयार कर लेता है तो उसके टंकण में एक दो सप्ताह लग जाते हैं। आशुलेखन के क्षेत्र में भी यही स्थिति है। जब भी आशुलेखन की बात आती है तो वे अपनी अज्ञानता दिखाकर मुक्ति पा लेने का प्रयास करते हैं।

आजकल देश में अंग्रेजी स्कूलों की बाढ़ सी आई हुई है। हिन्दी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को हीन दृष्टि से देखा जाता है।

तकनीकी और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिन्दी की पुस्तकें बहुत कम मात्रा में हैं। अनुवाद की प्रक्रिया चालू हुए कई वर्ष बीत चुके हैं। परन्तु ऐसी पुस्तकों में आशातीत वृद्धि नहीं हुई।

कार्यालयों में नियमों की पुस्तिकाएं, मैनुअल, कोड आदि अंग्रेजी में ही उपलब्ध होती हैं जिससे अधिकांश लोग उनका लाभ नहीं उठा पाते। हिन्दी भाषी क्षेत्र के लोग ही जब हिन्दी में काम नहीं करना चाहते तो अहिन्दी भाषी क्षेत्र के लोगों से ही क्या उम्मीद की जा सकती है। भले ही सरकारी आदेश सख्त क्यों न हो, प्राय: नियम, आंदेश और आदर्श सदा वास्तविकता से भिन्न होते हैं।

आम तौर पर नौकरियों में प्रवेश की प्राथमिकता ही उस व्यक्ति को मिलती है जिसे अंग्रेजी अच्छी बोलनी आती है। अंग्रेजी में काम करने के जो साधन हैं और उनमें जो सुधार होता रहा है वैसा हिन्दी में नहीं हुआ।

समाधान

आज भले ही हमारी राष्ट्रभाषा को वह अपेक्षित स्थान नहीं मिल सका है जिसकी वह हकदार थी। परन्तु प्रयास जारी हैं। भले ही गति धीमी है पर अन्तर अवश्य कम होता जा रहा है। आज विभिन्न माध्यमों से सरकार का ध्यान इस ओर लगाया जा रहा है। सरकार ने भी विभिन्न तरह के कदम उठाएं हैं जैसे:-

सरकार ने मंत्रालयों, कार्यालयों एवं विभागों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां बनाई हैं जिसमें हिन्दी के उत्थान एवं अनुपालन के सम्बन्ध में विचार विमर्श कर आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। इसकी बैठकें हर तीन महीने में होती हैं।

सरकार ने उच्चस्तरीय सलाहकार समितियों का गठन भी किया है जो हिन्दी की प्रगति के बारे में नीति निर्धारण करती हैं। सरकार ने यह कठोर आदेश दिए हैं कि 'क' क्षेत्रों को जाने वाले पत्र हिन्दी में ही जाएं।

हिन्दी एक सरल भाषा है। इसमें कोई माथा पच्ची करने की विशेष जरूरत नहीं है। इससे हम अपने विचार एक दूसरे को आसानी से समझा सकते हैं। अत: हमें चाहिए कि हम इसकी प्रगति में भरपूर सहयोग दें।

1. सभी कार्यालयों में सख्ती से सरकार के आदेशों का अनुपालन होना चाहिए।
2. हिन्दी पढ़ने वाले छात्रों और शिक्षकों को उचित प्रोत्साहन देना चाहिए।
3. सभी विज्ञान, इंजीनियरी की पुस्तकों को मूल रूप में ही लिखा जाना चाहिए।
4. हिन्दी में प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कार वितरण से भी हिन्दी में लोगों की रूचि बढ़ेगी।
5. आज के युग में संगणक बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। हिन्दी में भी इसके प्रयोग के प्रयास किये जा रहे हैं। परन्तु आवश्यकता है शीघ्रता से इस क्षेत्र में अधिकाधिक अनुप्रयोग की।
6. सभी सूचनापट्ट, रबड़ की मोहरें आदि हिन्दी में की जानी चाहिए।
7. प्रवेश परीक्षाओं में हिन्दी जानने वालों को वरीयता दी जाए।
8. राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान ने हिन्दी में शब्दावली तैयार की है जिसका अगस्त माह में केन्द्रीय मंत्री ने विमोचन किया। विज्ञान के समस्त क्षेत्रों में ऐसी शब्दावली बनती रहनी चाहिए।

उपसंहार

हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है। यह हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है। हिन्दी में काम करके हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। भले ही इसमें कुछ कठिनाइयां क्यों न हों। क्योंकि:-

वह पथ क्या, उस पथ पर चलना क्या, जिस पर बिखरे शूल न हों
नाविक की धैर्य परीक्षा ही क्या, जब धारा ही प्रतिकूल न हो।

हमें जरूरत है अटल बिहारी वाजपेयी जैसे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की जिन्होंने 1978 में संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बारी लगभग एक घंटे तक हिन्दी में भाषण देकर उसकी विश्वस्तर पर पहचान कराई। हिन्दी में काम करके हम अपने देश की रक्षा व्यवस्था को भी सुदृढ़ बना सकते हैं।

अत: पहल हमें ही करनी है। दूसरों को उपदेश देने से अच्छा है कि हम स्वयं सारे काम हिन्दी में करें क्योंकि हिन्दी हमारे राष्ट्र का स्वाभिमान है, हमारे देश का गौरव है। इसकी प्रगति के लिए हमें भरसक प्रयत्न करना है। हिन्दी को वह स्थान दिलाना है जिसकी वह हकदार है।

सबसे संक्षिप्त पत्र व्यवहार

फ्रेंच भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार विक्टर ह्यूगो व उनके प्रकाशक हर्स्ट एण्ड क्लैकेट के बीच सन् 1862 में जो पत्राचार हुआ था वह विश्व का संक्षिप्ततम पत्राचार माना जाता है। ह्यूगो उस दौरान छुट्टी पर थे और अपने नये उपन्यास 'ले मिजरेबल्स' की बिक्री के प्रति जिज्ञासु थे। इस सिलसिले में लिखे गये पत्र का मसौदा था "?" प्रकाशक ने पत्र का उत्तर दिया "!"।